राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5835/2021

श्रीमती विद्या भाटी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कुम्हार पाड़ा, जैसलमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.11.2021
आदेश की दिनांक : 04.04.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : स्वयं
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की एम.एड. प्रशिक्षण अवधि दिनांक 20.07.2016 से 05.06.2018 तक की अवधि का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाकर एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 02.12.1998 को हुई थी और उसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कीता, जैसलमेर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने एम.एड. अध्ययन हेतु दिनांक 20.07.2016 से 05.06.2018 तक अध्ययन अवकाश हेतु प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष उचित माध्यम द्वारा दिनांक 11.08.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो अनुलग्नक–1 से प्रकट होता है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.04.2016 को उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्री एम.एड. परीक्षा मई, 2016 में बैठने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया और अपीलार्थी को उप निदेशक द्वारा दिनांक 21.04.2016 को आदेश जारी कर

एम.एड. परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा प्रदान की गई, जो अनुलग्नक–2 व 3 से प्रकट होता है। अपीलार्थी द्वारा सफलता पूर्वक एम.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत ग्रामोत्थान विद्यापीठ कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, संगरिया, हनुमानगढ़ द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 05.06.2018 को महाविद्यालय से मूल विद्यालय के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया और अपीलार्थी ने दिनांक 06.06.2018 को प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कुम्हार पाड़ा, जैसलमेर में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.08.2018 को प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष दिनांक 20.07.2016 से दिनांक 05.06.2018 तक एम.एड. प्रशिक्षण काल का अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि अपीलार्थी के समान प्रकरण में श्रीमती संगीता चाहर, अध्यापिका जो कि राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजासर, जैसलमेर में कार्यरत थीं, ने भी सत्र 2016–18 में एम.एड. अध्ययन हेतु अनुज्ञा प्राप्त कर एम.एड. प्रशिक्षण प्राप्त किया और विभाग द्वारा उनके आवेदन को स्वीकार कर आदेश दिनांक 11.02.2020 के द्वारा कुल 707 दिवस का अध्ययन अवकाश स्वीकृत कर दिया गया, जबकि अपीलार्थी के आवेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया, जो नियमों के विरूद्ध है।

अतः उपरोक्त आधारों पर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की एम.एड. प्रशिक्षण अवधि दिनांक 20.07.2016 से 05.06.2018 तक की अवधि का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाकर एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 110 के अनुसार अध्ययन अवकाश अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम जो स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी की सम्मति में विभागीय कार्य जिसमें कार्मिक नियोजित है, के हित में आवश्यक समझा जाता है, अनुज्ञेय होगा। इस प्रावधान से स्पष्ट है कि राज्य कर्मचारी को अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम हेतु ही अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाना चाहिए, जो कि कार्मिक के वर्तमान पद के कर्त्तव्यों से जुड़ा हुआ हो एवं ऐसे पाठ्यक्रम के अध्ययन से विभागीय कार्य के निस्तारण में कार्मिकों को निपूर्णता प्राप्त होती हो, अन्य किसी स्थिति में कार्मिक को अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। एम.एड. अध्ययन माध्यमिक शिक्षा विभाग में किसी पद पर नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता/योग्यता हेतु आवश्यक नहीं है। केवल बी.एड. पाठ्यक्रम

हेतु स्थापित संस्थानों एवं डाईट संस्थानों में लेक्चरर हेतु निर्धारित अर्हता में एम.एड. आवश्यक है। परंतु उक्त संस्थानों में स्कूल शिक्षा विभाग के छात्र अध्ययनरत नहीं होते हैं एवं इनमें विषयवार पद भी सीमित हैं। इस प्रकार यह योग्यता छात्र हित में नहीं है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें अपीलार्थी की ओर से एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 02.12.1998 को हुई थी और उसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कीता, जैसलमेर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कुम्हार पाड़ा, जैसलमेर में कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा एम.एड. प्रशिक्षण करने की अनुमति विभाग द्वारा प्राप्त करने हेतु दिनांक 18.07.2016 को आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में प्रत्यर्थी विभाग कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर द्वारा एवं कार्यालय उप निदेशक, शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल द्वारा दिनांक 19.07.2016 तथा आदेश दिनांक 19.07.2016 (अनुलग्नक–7) को प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान की गई, जो अनुलग्नक–5, 6 एवं 7 से प्रकट होता है। उक्त अनुलग्नक–5, 6 एवं 7 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उचित माध्यम से एम.एड. प्रशिक्षण के लिए अनुमति प्रदान की गई। जहां तक एम.एड. प्रशिक्षण दौरान अध्ययन अवकाश स्वीकृत ना किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अनुलग्नक–4 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा एम.एड. प्रशिक्षण के लिए प्रत्यर्थी विभाग से अनुमति लेने हेतु आवेदन किया गया और उचित माध्यम से नियमानुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को एम.एड. प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने हेतु अनुमति प्रदान की गई। अनुमति प्रदान की जाने के उपरांत ही अपीलार्थी ने एम.एड. प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त की। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा अनुमति मिलने के बाद ही अपीलार्थी ने नियमों की पालना करते हुए उक्त योग्यता अर्जित की और एम.एड. प्रशिक्षण योग्यता अर्जित करने के उपरांत उसका अध्ययन अवकाश स्वीकृत ना किया जाना राजस्थान सेवा नियमों के विपरीत प्रकट होता है। अनुलग्नक–14 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि श्रीमती संगीता चाहर जो अध्यापिका लेवल द्वितीय के पद पर कार्यरत थी। उनके द्वारा भी एम.एड. प्रशिक्षण योग्यता अनुमति प्रदान करने के

उपरांत ही अर्जित की गई तथा विभाग द्वारा भी उनके अध्ययन अवकाश कुल 707 दिवस का स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी का प्रकरण भी उक्त प्रकरण के समान प्रकट होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन को नियमानुसार निस्तारण करें तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से दो माह में किया जाना सुनिश्चित करें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य